न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—299 / 2018 / 223 (2018 / 00299)

1. शंकर पुत्र लादू वल्द लाखा
2. भीमा पुत्र लादू वल्द लाखा,
   समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम हाथीखेड़ा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

चन्द्रा पुत्र भोमा (मृतक) जरिये वारिसानः—

1. मानी पत्नि चन्द्रा,
2. गीता पुत्री चन्द्रा,
3. सीता पुत्री चन्द्रा,
4. नीता पुत्री चन्द्रा नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमती मानी पत्नि चन्द्रा,
5. प्रताप पुत्र चन्द्रा, नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमती मानी पत्नि चन्द्रा,
6. छोटू पुत्र चन्द्रा नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमती मानी पत्नि चन्द्रा,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम हाथीखेड़ा, तह0 व जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
8. मेवल विलियम पुत्र विलियम फ्रेंक, निवासी फायसागर रोड़, ग्राम हाथीखेड़ा, तह0 व जिला अजमेर ।
9. आशा देवी पत्नि टीकमसिंह,
10. नव्या पुत्री टीकमसिंह नाबालिग जरिये सरंक्षक माता आशा देवी,
11. कुशाल पुत्र टीकमसिंह नाबालिग जरिये सरंक्षक माता आशादेवी,
12. रिया पुत्री टीकमसिंह नाबालिग जरिये सरंक्षक माता आशा देवी,
    निवासी ग्राम बोराज फॉयसागर रोड़, तह0 व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 27.9.2018 अंतर्गत वाद संख्या 197 / 20151

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अविनाश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 8 एवं 9.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 6 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 31.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.9.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर उल्लेखित किया कि वादीगण के पिता लादू पुत्र लाखा थे। लादू पुत्र लाला उर्फ लाखा की खातेदारी में ग्राम हाथीखेड़ा, तहसील व जिला अजमेर में अन्य खसरा नंबरान के साथ खाता संख्या 601 में खसरा संख्या 431/2 रकबा 8 बिस्वा बारानी द्वितीय व 431/1 रकबा 2 बिस्वा बारानी दोयम भूमि जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में खातेदारी में अंकित थी । वर्किंग जमाबंदी बनाते समय खसरा संख्या 431/1 एवं 431/2 के नये खसरा नंबर 599 बनारये गये । खसरा नंबर 599 वर्किंग जमाबंदी में प्रतिवादीगण के पति/पिता चन्द्रा पुत्र भोमा के नाम खातेदारी में अंकित कर दी गई तथा भू—प्रबधं विभाग को बिना किसी आधार के खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है । जबकि विवादित भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का ही चला आ रहा है । कुछ माह पूर्व कुछ अजनबी व्यक्ति विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का नामे लेकर आये तथा कहा कि वे यह भूमि खरीदना चाहते है । इसी कारण वादीगण/अपीलांटस को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यकता हुआ है । वाद के अंत में वादीगण ने निवेदन किया कि वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.9.2018 द्वारा वादीगण का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को नजरअदांज कर एवं बिना अवलोकन किये वाद को खारिज करने में भूल की है । वादीगण/अपीलांटस के द्वारा वादपत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई वह प्रदर्श—1 जमाबंदी संवत् 2023 से 2026, प्रदर्श—2 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श—3 वर्किंग जमाबंदी तथा मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0 1 से पी0डब्ल्यू0 4 के बयान कराये गये । प्रतिवादीगण/रेस्पो0 की ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद में 6 तनकियात कायम की थी लेकिन किसी भी तनकी को अलग—अलग रूप से डिटरमाईन करते हुए निर्णय पारित नहीं किया गया है । तनकी संख्या 1 लगायत 4 को एक साथ सम्मिलित करते हुए निर्णय पारित किया है जबकि सभी तनकियां अलग—अलग रूप से निर्णित करनी चाहिये थी । अपीलांटस ने तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने हेतु प्रदर्श—1 जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 प्रस्तुत की थी जिसमें अपीलांटस के पिता लादू पुत्र लाला उर्फ लाखा के नाम खातेदारी दर्ज है जो भू—प्रबंध से पूर्व की अंतिम चौसाला जमाबंदी थी इसलिये वर्किंग जमाबंदी में उपरोक्त इंद्राज रिपीट होना चाहिये था लेकिन भू—प्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से चन्द्रा के नाम अन्य आराजी

के साथ दर्ज कर दिया गया जो गलत इंद्राज है । भू–प्रबंध विभाग को बिना सक्षम न्यायालय के आदेशों के पूर्व इंद्राज को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अंतिम चौसाला में अपीलांट के पिता के नाम दर्ज खातेदारी को सेटलमेंट के बाद वर्किंग जमाबंदी में किस प्रकार चन्द्रा के नाम दर्ज की गई इस संबंध में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया था जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य था । यह भी कथन किया कि विवादित आराजी पर रेस्पो0 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा इसके बावजूद रेस्पो0 द्वारा विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 8 से 12 को बिना कब्जे के ही बेचान कर दी गई । बिना कब्जे के रेस्पो0 संख्या 8 से 12 को भी कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के विपरीत वाद खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 8 व 9 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में चन्द्रा पुत्र भोमा की खातेदारी में दर्ज थी तथा कब्जा काश्त भी चन्द्रा का ही रहा एवं उनकी मृत्यु उपरांत रेस्पो0 का कब्जा काश्त रहा है । बहस में आगे कथन किया कि चन्द्रा की मृत्यु उपरांत विरासत नामांतकरण संख्या 713 दिनांक 7.12.2007 को प्रतिवादी/रेस्पो0 के पक्ष में तस्दीक किया था जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है यदि अपीलांटस का विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त होता तो उक्त नामांतकरण को चुनौती देकर निरस्त अवश्य करवाते । विवादित आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त न होकर रेस्पो0 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादीगण/अपीलांटस ने अपनी बहस में यह कथन किया है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2023 से 2026, प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–3 वर्किंग जमाबंदी तथा मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0 1 से पी0डब्ल्यू0 4 के बयान पेश किये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन, विश्लेषण नहीं किया तथा तनकी संख्या 1 से 4 को एक साथ निर्णित किया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु दादरसी सहित कुल 6 तनकियात कायम की है । वादीगण/अपीलांटस ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2023 से 2026, प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–3 वर्किंग जमाबंदी तथा मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0 1 से पी0डब्ल्यू0 4 के बयान पेश किये है किन्तु अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन व विश्लेषण किये बिना तनकी संख्या 1 लगायत 4 को सम्मिलित रूप से एकसाथ निर्णित किया है । जबकि अधी0न्याया0 को प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर स्पष्ट निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य

तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.9.2018 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस के क्रम में उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में पुनः तनकीवार निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर